प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 व 209 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे उसे सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1089/583 रकबा 39.00 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी की भूमि की पक्की नेखमबन्दी की कार्यवाही कर नेखम स्थापित कर पक्की तारबन्दी की हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 से 07 झगड़ालू प्रवृति के होने के कारण तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण प्रार्थी की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने तथा अवैध रूप से कब्जा करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 07 उसमे सफल होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्यायिक प्रकरणों की संख्या में भी अनावश्यक वृद्धि होगी। लिहाजा प्रार्थी इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्राप्त करने का अधिकारी है कि मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1089/583 रकबा 39.00 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 07 किसी प्रकार का दखलन्दाजी नही करे तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात यथा खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी, नक्शा का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि खातेदारी भूमि है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 80/2019 अनवान किस्तुराराम बनाम मंगलाराम

नम्बर व
आदेश
हुकम
में जारी

के पक्ष में है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी की भूमि में अप्रार्थीगण
द्वारा दखलन्दाजी कर अनाधिकृत रूप से कब्जे काश्त में मांठ
तोड़ कर प्रवेश करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष
में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के विरूद्ध इस आशय की
जारी की जाती है कि मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र
बांदरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या
1089/583 रकबा 39.00 बीघा भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 07
प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न करे मौके की यथा
स्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर
हो।

निर्णय आज दिनांक 19/01/22 को खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर